



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक पी-2, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा

पत्रांक-नियोजन/बी.पी-20/894
दिनांक- 25/03/2014

सेवा में,

मैसर्स सन वर्ल्ड सिटी लिमिटेड

117, हंस भवन, 1, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक- 24/03/2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा भूखण्ड संख्या टी0 एस0 - 07 सैक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तुत मानचित्रों पर सम्यक विचारोपरान्त पुनरीक्षित भू-उपयोग/भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा रही है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष तक वैध है। साथ ही पट्टा प्रलेख की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमत्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
4. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
5. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉंगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
6. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा (यदि आवश्यक हो)।
7. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
8. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14/09/06 में निहित प्राविधानों एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजन विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मानचित्र पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमत्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं यमुना एक्सप्रेसवे भवन विनियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
9. समय-समय पर भू-उपयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशों एवं प्राधिकरण से दिये जाने वाले निर्देशों का आवंटी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. संस्था द्वारा ग्रीन व ओपन स्पेस तथा पार्किंग नियमानुसार छोड़े जायेंगे।

11. प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा निर्देशित व्यवस्था के अनुसार जलापूर्ति व्यवस्था का विकास करना होगा।
12. परियोजना विभाग द्वारा वाह्य ड्रेनेज के लिए जो लेवल संस्था को उपलब्ध कराये जाएंगे उसके अनुरूप ड्रेनेज प्लान को तैयार कर प्राविधान करने होंगे।
13. सालिड वेस्ट डिस्पोजल व मैनेजमेंट आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
14. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
15. आवंटी को प्राधिकरण/अन्य स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुरक्षण शुल्क/उपयोग व्यय वहन करने होंगे।
16. मास्टर प्लान एवं भवनविनियमावली (यथा संशोधित) में दिये गये नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
17. प्रवेश/निकास के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
19. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
20. परियोजना विभाग के पत्रांक-वाई.ई.ए/एस.एम(वर्क सर्किल 2)/2014/1655 दिनांक-24/03/2014 में सर्विसेस यथा सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं विद्युत के सम्बन्ध में उल्लेखित नियम एवं शर्तों का आवंटी को पालन करना होगा (प्रतिलिपि संलग्नक)।
21. प्रश्नगत भूखण्ड पर मानचित्र स्वीकृति मा0 उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 7221/12 में पारित आदेशों के अधीन रहेगी।
22. प्रश्नगत भूखण्ड में जो भूमि मा0 उच्च न्यायालय के स्थागनादेश से प्रभावित है उस पर मानचित्र केवल नियोजन हेतु प्रतीकात्मक रूप से रहेगा तथा प्राधिकरण द्वारा उस पर कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं की जा रही है।
23. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
24. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवंटी स्वयं लेंगे।
25. आवंटी एन0जी0टी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे।

meena
 25/3/14
 (मीना भार्गव)
 महाप्रबन्धक-नियोजन o/c

संलग्न : स्वीकृत भू-उपयोग/भू-विन्यास मानचित्र की प्रति।
 परियोजना विभाग के पत्र की प्रति।

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, मुख्य कार्यापालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

meena
 25/3/14
 महाप्रबन्धक-नियोजन o/c

✓